[5/8/2025]

प्रश्न सं. [क्र. 2706]

तारांकित प्रश्न कमांक 2706
मान0 विधायक श्री ओमकार सिंह मरकाम

परिशिष्ट 'अ'

1- **बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में प्रावधान है कि :-** "बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 यह कानून भारत में बाल विवाह को रोकने के लिए बनाया गया है। इस अधिनियम के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के की शादी को बाल विवाह माना जाता है जिसे गैर कानूनी घोषित किया गया है। कानून के उल्लघन पर 02 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक लाख रूपये जुर्माना से दण्ड का प्रावधान है ।"

2- **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 :-** "बालकों के विरूद्ध लैंगिक अपराध में पोक्सो एक्ट धारा 3 व धारा 5 में प्रवेशन लैंगिक हमले को अपराध परिभाषित किया गया है। जिसमें प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी सीमा तक किसी बालक के साथ कृत्य कारित करता है वह धारा 4 प्रवेशन लैंगिक हमले के लिये दण्ड जिसमें सजा सात वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा व पोक्सो एक्ट धारा 6 में गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिये दण्ड जिसमें सजा दस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।"

3- **धारा 63 भारतीय न्याय संहिता, 2023** "बलात्कार को परिभाषित किया गया है जिसमें किसी भी परिस्थिति में किसी महिला की इच्छा के विरूद्ध सम्मति के बिना, महिला की सम्मति से मृत्यु या उपहति के भय को डालकर या महिला विवाहित होने का विश्वास करती है या चित्त-विकृति या मत्तता के कारण वह सम्मति देती है. वह अठारह वर्ष से कम आयु की है. महिला सम्मति देने में असमर्थ है, जिसे धारा 64 भारतीय न्याय सहिता में दण्डनीय अपराध प्रावधानित किया गया है। जिसमें सजा दस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा। बाल विवाह अपराध घटित होने पर सिर्फ लड़का ही दोषी नहीं होता है बल्कि शादी कराने वाले परिजन/सहयोगी के विरुद्ध भी अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किये जाते है।"

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग, की (1)
मंत्रालय, भोपाल

AIG of Police (WSB)
PHQ, BHOPAL

Scanned with CamScanner